सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2020 को पूर्वा० 11:30 बजे से आयोजित पटना मेट्रो परियोजना की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2020 को पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें DMRC के Director (work), Project Director, DMRC परियोजना निदेशक, NHAI के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, बुडको, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, विद्युत कंपनी के पदाधिकारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अभियंता, PMRCL के मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक (कार्य) एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए। **इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्देश दिए गए–**

1. DMRC के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ISBT से मलाही पकड़ी तक मेट्रो एलायनमेंट हेतु तथा डिपो के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव PMRC को भेज दिया गया है। इन्हें निदेश दिया गया कि पटना मेट्रो के लिए सरकारी जमीन के हस्तांतरण का प्रस्ताव तथा बाकी बचे भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव भी 15 अप्रैल तक उपलब्ध कराया जाए। PMRC के महाप्रबंधक (कार्य) को निदेशित किया गया कि भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को भेज दिया जाए। **(अनुपालन–महाप्रबंधक (कार्य), PMRCL/DMRC)**

2. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को निदेशित किया गया कि भूमि अधिग्रहण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संपादित करते हुए अधिकतम 06 माह की अवधि में सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर अधिग्रहित भूमि DMRC को हैंडओवर करना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु अलग से स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जो पूर्ण रूप से पटना मेट्रो के जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्य करेगी। साथ ही आउटसोर्सिंग के आधार पर भू–अर्जन के कार्यों हेतु अतिरिक्त मैनपावर हायर किया जाए, जिसके व्यय का वहन PMRCL द्वारा किया जाएगा। साथ ही भू–अर्जन कार्य हेतु आवश्यकता होने पर अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी PMRCL द्वारा किया जाएगा।
(अनुपालन–जिला पदाधिकारी, पटना/जिला भू–अर्जन पदा०, पटना/महाप्रबंधक (कार्य), PMRCL/DMRC)

3. परियोजना निदेशक, DMRC द्वारा बताया गया कि पटना मेट्रो के कास्टिंग यार्ड के लिए 250 एकड़ जमीन की आवश्यकता 05 वर्षों के लिए होगी। उनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि पटना मेट्रो के एलायनमेंट के 10–12 कि०मी० की परिधि में 05 वर्षों के लिए आम लोगों से जमीन लीज पर लेने हेतु अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए। विज्ञापन में यह शर्त्त रखा जाए कि यह जमीन शहर के मुख्य सड़क से जुड़ा हो और कम से कम 20 फीट का Road Access हो। उल्लेखनीय है कि उक्त यार्ड के लिए 250 एकड़ जमीन एक जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकता है, अतः यह जमीन शहर के अलग–अलग स्थानों में ली जा सकती है, किन्तु किसी एक स्थान पर जमीन 10 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। लीज पर ली जाने वाली जमीन के व्यय का वहन PMRCL द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन–महाप्रबंधक (कार्य), PMRCL/DMRC)

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मेट्रो परियोजना के एलायनमेंट में पड़ने वाले पेड़ों को अन्यत्र जगह पर Transplant किए जाने हेतु चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें जिन पेड़ों को हटाना है, उसकी मार्किंग लाल रंग से तथा जिन पेड़ों को नहीं हटाना है, उसकी मार्किंग हरे रंग से की जा रही है। इनके द्वारा यह भी कहा गया पेड़ों को अन्यत्र Transplant किए जाने हेतु स्थल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा

उपलब्ध कराया जाएगा। इन्हें निदेशित किया गया कि उक्त से संबंधित प्रतिवेदन DMRC को दिनांक 22.03.2020 तक भेजा जाए। DMRC के पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि आज ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंधित पदाधिकारी के साथ स्थल भ्रमण किया जाए तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार जिन–जिन पेड़ों को Transplant किया जाना है, उस पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/PMRCL/DMRC)

5. DMRC के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मलाही पकड़ी से न्यू बाईपास की ओर कोरिडोर–2, जहाँ न्यू बाईपास पर मिलता है, उस स्थान पर NHAI द्वारा छोटा ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने का प्रस्ताव है, जिसके कारण कोरिडोर–2 एवं कोरिडोर–1 के निर्माण में समस्या होगी। निदेश दिया गया कि DMRC के वरीय पदाधिकारी तथा NHAI के पदाधिकारी आज ही अप० 03:00 बजे इस जंक्शन का स्थल निरीक्षण करेंगे तथा स्थल निरीक्षण के आधार पर इस फ्लाईओवर एवं अंडरपास को आवश्यकतानुसार पश्चिम की ओर शिफ्ट करने का निर्णय लिया जाएगा। स्थल निरीक्षण के फलाफल के संबंध में दिनांक 20.03.2020 को अप० 04:00 बजे पुनः सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी।

(अनुपालन–NHAI/DMRC)

6. मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान अगले तीन वर्षों में लगभग 13.50 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी निकलने का अनुमान है। इतनी अधिक मिट्टी को रखना एवं शीघ्र हटाना भी आवश्यक होगा। इस आलोक में DMRC द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि मेट्रो निर्माण के दौरान खुदाई के कार्यों के बाद निकली मिट्टी के निष्पादन के लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाए कि अगले 03 वर्षों के दौरान मेट्रो निर्माण के दौरान जितनी जमीन की खुदाई की जाएगी, उससे निकलने वाली मिट्टी को पटना मेट्रो के एलायनमेंट के आसपास 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में किसी को भी मिट्टी की आवश्यकता होने पर उसके स्थान तक मिट्टी निःशुल्क पहुचाया जाएगा, जिसका परिवहन एवं अन्य सभी व्यय का वहन PMRC द्वारा किया जाएगा। मिट्टी उपलब्ध कराने हेतु सरकारी विभागों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा उसके बाद आम जरूरतमंदों को भी मिट्टी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, किन्तु इसके लिए मिट्टी की न्यूनतम माँग 10 हजार क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। **(अनुपालन–महाप्रबंधक (कार्य), PMRC/DMRC)**

7. जीरो माईल से ISBT तक के मेट्रो एलायनमेंट के साथ ही ISBT के पास पटना मेट्रो के डिपो का निर्माण भी प्रस्तावित है। उक्त एलायनमेंट के बगल से पथ निर्माण विभाग द्वारा फोरलेन रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में बताया गया कि उक्त एलायनमेंट के बगल में पथ निर्माण विभाग द्वारा फ्लाईओवर निर्माण किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निदेश के आलोक में पथ निर्माण विभाग को अविलंब इस भाग में फलईओवर के निर्माण हेतु पत्र भेजा जाए।

(अनुपालन–श्री संजय दयाल, CGM, Tech, PMRC/पथ निर्माण विभाग)

8. परियोजना निदेशक, DMRC को निदेश दिया गया कि बिजली के पोल, तार आदि से जुड़े मामलों को लेकर विद्युत बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की कार्रवाई की जाए। इस संबंध में GM (Works), PMRC को निदेश दिया गया कि 23 मार्च को प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के कार्यालय कक्ष में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कराई जाए, जिसमें सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, PMRCL के पदाधिकारी एवं DMRC के पदाधिकारी भाग लेंगे। इस बैठक में पटना मेट्रो के एलायनमेंट के बिजली से संबंधित मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाएगी।

(अनुपालन–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी/महाप्रबंधक (कार्य), PMRCL/DMRC)

9. बैठक में PMCH, गांधी मैदान और साइंस कॉलेज स्टेशनों की समस्या पर भी चर्चा की गई तथा PMCH में बनने वाले 5000 बेड के अस्पताल के डिजाईन के आलोक में PMCH के सामने बनने वाले मेट्रो स्टेशन के डिजाईन पर भी चर्चा की गई। निदेश दिया गया कि कल दिनांक 20.03.2020 को पटना मेट्रो की टीम तथा BMSICL की टीम द्वारा संयुक्त रूप से PMCH का निरीक्षण किया जाएगा तथा PMCH स्टेशन का लोकेशन तथा अन्य Specification निर्धारित किया जाएगा। **(अनुपालन–MD, BMSICL/DMRC)**

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

19/3/20

सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–37/प0 को0 न0वि0 एवं आ0वि0/पटना, दिनांक 19/3/2020

प्रतिलिपि :–श्री संजय कुमार, विशेष सचिव/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/आई0टी0 मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/20

सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–37/प0 को0 न0वि0 एवं आ0वि0/पटना, दिनांक 19/3/2020

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, पथ निर्माण, विभाग/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, BMSICL/जिला भू–अर्जन पदा0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक (तक0), PMRC/महाप्रबंधक (कार्य), PMRC/क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI, Patna/मुख्य अभियंता, बुडको/निदेशक (कार्य), DMRC/परियोजना निदेशक, DMRC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/20

सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–37/प0 को0 न0वि0 एवं आ0वि0/पटना, दिनांक 19/3/2020.

प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/20

सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग